



अंत्योदय—सरल



भवन तथा अन्य निर्माण संकर्म कर्मकार बोर्ड मुख्यमन्त्री सामाजिक सुरक्षा योजना—हरियाणा भवन तथा अन्य निर्माण संकर्म कर्मकार बोर्ड (योजना)

पात्रता :

1. कार्य—स्थल पर नियोजन के दौरान पंजीकृत निर्माण कर्मकारों की मृत्यु पर योजना के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जानी है।

उपलब्ध करवाये जाने लाभ :

1. नियोजन के दौरान कर्मकार की मृत्यु पर रू0 5 लाख वित्तीय सहायता।

आवश्यक दस्तावेज :

1. मृत्यु प्रमाण—पत्र
2. पुलिस एफ0आई0आर0 / डी0डी0आर0 की प्रति
3. शव—परीक्षा रिपोर्ट की प्रति
4. जांच रिपोर्ट

सेवा के लिए फीसें :

सरकारी प्रभार	सेवा प्रभार	अटल सेवा केन्द्र सेवा प्रभार
आजीवन में एक बार पंजीकरण फीस रू0 25 /— और रू0 5 /— प्रति मास (रू0 60 /— प्रतिवर्ष) अंशदान फीस के रूप में लाभार्थी द्वारा बोर्ड को भुगतान की जाएगी।	रू0 10 /—	रू0 10 /—

सेवा का अधिकार समय सीमा : 90 दिन